

विभाग का नाम- मत्स्य विभाग, बरेली में प्रदत्त सुविधायें

प्रारूप

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	लाभार्थियों को प्रदत्त सुविधा सामग्री/अनुदान/धनराशि)	योजना की पात्रता हेतु शर्तें	योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	योजना में लाभान्वित करने हेतु सक्षम अधिकारी का पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	एफ0एफ0डी0ए0	ग्राम सभा के तालाबों के सुधार पर 1.00 हे0 तालाब पर 1.25 लाख तथा निजी तालाब पर 3.50 लाख बैंक ऋण पर 20प्रतिशतसा0जाति को तथा25 प्रतिशत एस0सी0एस0टी0 को अनुदान देय है।	ऐसे लाभार्थी जिनके तालाब के पट्टे की अवधि 7 वर्ष शेष हो तथा पूर्व के ऋणी न हो पात्र है।	पट्टा/खसरा/खतौनी सहित तहसील स्तर पर मत्स्य निरीक्षक अथवा जनपद स्तर पर आवेदन किया जा सकता है।	सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य अधिकारी	-
2	मछुआ आवास	लोहिया आवास की भांति 3.05 लाख जिसमें 0.30 लाख सोलर लाइट हेतु प्रविधान है।	मछुआ वाहुल्य ग्रामों के गरीब मछुआ जो मत्स्य उत्पादन में लिप्त हो व वी0पी0एल0, भूमिहीन मछुआ को वरीयता दी गयी है।	आवेदन जनपद स्तर पर तथा ग्राम चयन मंडल स्तर पर गठित समिति द्वारा लाभार्थी चयन ग्राम सभा की खुली बैठक द्वारा	मंडलीय चयन समिति तथा सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य अधिकारी	-
3	जल प्लावित	लागत 1.25 लाख प्रति हे0 पर अनुदान सा0जाति हेतु 80 प्रतिशत तथा अनु जाति/जनजाति पर 90 प्रतिशत अनुदान	लाभार्थी की भूमि जल रिसाव/जल जमाव वाली भूमि जो पहले से तालाब की झेणी में न हो /कृषि हेतु उपयुक्त न हो मछुआ समुदाय/अनु जाति/जनजाति/सीमांत/लघु कृषक को वरीयता।	समाचार पत्रों में विज्ञापन उपरांत जिलास्तर पर आवेदन किया जा सकता है।	सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य अधिकारी	-

श्री 5425

पत्रांक 532

प्रतिलिपि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बरेली को जिलाधिकारी बरेली महोदय के उपरोक्त विषयक पत्र सं0 707/मा0स0बैठक/2016-17 दिनांक 25.05.2016 के अनुपालन में आवश्यक कागजात हेतु प्रेषित।

श्री 5425

कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य बरेली।

दिनांक 30-5-2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
मत्स्य पालक विकास अभिकरण  
बरेली।